

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टॉक

(पीठाधीन अधिकारी टीना ज़ाबी, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

प्रतिष्ठ दिनांक

30.03.2026

39/2026

सीएफएम एंसेट रिकॉस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, बेकफील्ड हाउस, स्ट्रीट नंबर, बंगलौर एस्टेट, मुंबई - 400038

...प्राथी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. होती लाल शीमा पुत्र प्रेम लाल शीमा निवासी शीमा का मोहल्ला बोट्टेन्दा, जिला टोक राज.
2. परस्या देवी पुत्री प्रेम लाल शीमा निवासी शीमा का मोहल्ला बोट्टेन्दा, जिला टोक राज.

प्राथीना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्यूरिटीज़ अधिनियम एंड रिकॉस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल सेक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 06.05.2026

प्राथी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्राथीना पत्र अंतर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राथी बैंक/कम्पनी ने प्राथीना पत्र में वर्णित किया है कि अप्राथीना, बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता शीमा/सहश्री/गारंटर है। अप्राथीना द्वारा बैंक/

कम्पनी से शीमा संख्या FIKKALALONS00005016201 से दिनांक 16.01.2021 से 2,40,000/रुपये (अक्षरे दो लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का शीमा उपलब्ध कराया गया था व अप्राथी/अधिया, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किया गया उक्त शीमा के एवज में बंधक सम्पत्ति, होती लाल शीमा के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/संख्या. पहा संख्या 12, वाके ग्राम रामपुरा व ग्राम पंचायत बोट्टेन्दा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 144.66 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं की खाली भूमि, उत्तर में किशन लाल गुजर पुत्र मुस्लीमर का मकान तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। अप्राथी/अधिया/अधिया को, बैंक के साथ किया गया शीमा अर्जुन की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाली को दिनांक 01.09.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्राथी/अधिया के कुल बकाया राशि 3,30,828/- (अक्षरे तीन लाख तीस हजार आठ सौ अठ्ठाईस रुपये मात्र) दिनांक 31.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके अग्रे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त शीमा को प्राथी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2)

(Handwritten signature)





जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

in his opinion, be necessary.

(1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (b) Forward such assets and documents to the secured creditor. (a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

District Magistrate shall, on such request being made to him- thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the documents relating thereto may be situated of found- to take possession the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्राधान्य है, जो इस प्रकार है।

2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई समिति का कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाने बाबत Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः नोटिस दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाये 2 के तहत नोटिस जारी 6256/2016 पंजाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, से पारित निर्णय न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या

क करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थन प्राप्त हुआ कि या गया।

प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

गया है।

बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस इमप्लूमेंटेशन के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तहत उपरोक्त खर्च से देय राशि क पुनर्भरण हेतु रहन शेष समिति का कब्जा प्रार्थी Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के सम्बन्ध में प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of किया गया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी का समूह कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं गई है। नोटिस जारी बचक समिति का समूह कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं है। नोटिस जारी धारा 13 मय ब्याज चुकाने से पूर्व की से प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद नोटिस जारी धारा 13 मय ब्याज चुकाने से पूर्व की अन्तर्गत दिनांक 27.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया जाने तथा समाचार पत्र



का
का
(टीना दावी)
का

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो सुईया कराने हेतु निर्णय प्रति निजवाड़े जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक हेतु कार्गन व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिना पुलिस अधीक्षक, टांक को पर्याप्त पुलिस जाणा सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश न हो। वहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकालत पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की फाईनेलियाल एसेट्स एण्ड एनकाउंसमेंट ऑफ सिव्जिटीइन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिव्जिटीइन्टरेस्ट एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ सिव्जिटी प्रति वरसीलदार टेलरवायसिंह को भोजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी निर्णय प्रति वरसीलदार टेलरवायसिंह को भोजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।

है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजाल के आधार पर दिये जा रहे हैं। तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1.वहन सुई सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वकालत यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राल होला

को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर पालना पर स्वीकार किया जाता है तथा वहन सुई सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विवरण कर उनके द्वारा दिये गये शपथ नियमों के अनुसार समस्त कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थानन प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र पेश किया कि